भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3802

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

सभी के लिए शिक्षा

†3802. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेषकर देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए सुलभ हो और किस तरीके से स्कूलों को अधिक समावेशी बनाया जा रहा है;

(ग) सरकार किस तरीके से कुछ क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी और हाशिए के समुदायों में निरक्षरता की चुनौतियों का समाधान कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और शिक्षक उपलब्धता के संदर्भ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा तक पहुंच में अंतर को पाटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक विभाजन के बिना, स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से देखा जाता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, जनजातीय भाषा के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकों के विभिन्न गुणात्मक घटक विकास, शिक्षण सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/अनुरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करने और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को सुदृढ़ करने, आईसीटी और डिजिटल साधन का प्रावधान करने के लिए वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायता और उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उचित शिक्षण-अधिगम सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें स्कूलों में बाधा मुक्त पहुंच के लिए दिव्यांग अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे रैंप, रेलिंग के साथ रैंप और दिव्यांग अनुकूल शौचालय के निर्माण का भी प्रावधान है। इसके अलावा, सीडब्ल्यूएसएन की पहचान में सुधार के लिए, सरकार ने नियमित स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन की शीघ्र जांच और पहचान के लिए प्रस्तुत ऐप पेश किया है। सीडब्ल्यूएसएन की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा के तहत हाइब्रिड मोड में शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) जिसे लोकप्रिय रूप से उल्लास के नाम से जाना जाता है - का लक्ष्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन निरक्षरों को लक्षित करना है, जो औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए हैं तथा उन्हें साक्षर बनाने के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों के पंजीकरण के लिए एक समर्पित उल्लास ऐप बनाया गया है। अब तक 2.20 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों और 40 लाख से अधिक स्वयंसेवी शिक्षकों ने ऐप पर पंजीकरण कराया है। ऐप में सभी भाषाओं में उल्लास प्राइमर के रूप में टीएलएम भी शामिल है।

(घ) इस योजना के तहत राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, रैंप और रेलिंग, विद्युतीकरण, सीमा दीवार, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष और प्रमुख मरम्मत कार्यों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में सहायता की जाती है।

शैक्षिक पहुंच में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए, आईसीटी प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पीएम ई-विद्या सहित दीक्षा और स्वयं प्रभा डीटीएच-टीवी चैनल जैसी डिजिटल पहलों के लिए भी योजना के तहत सहायता दी जा रही है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे का सृजन/सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों के वेतन को सहयोग आदि शामिल हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है, जो योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्त मानदंडों और पहले से अनुमोदित उपायों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार होता है।

*****